न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. प्रहलाद सहाय पुत्र मोहन मीणा 2. पूर्णमल पुत्र मोहन मीणा 3. भंवरी देवी पत्नी मोहन मीणा निवासी मूण्डघसोई तह. नांवा		1. शंकरलाल पुत्र माहेन मीणा 2. प्रेमदेवी पुत्री मोहन मीणा 3. संतोषदेवी पुत्री मोहन मीणा 4. चुंकादेवी पुत्री मोहन मीणा निवासी मूण्डघसोई तह. नांवा 5. तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा।

उपस्थित :– श्री हनुमानराम वकील वादीगण

श्री

मुकदमां नम्बर :– 39/2018 निर्णय दिनांक :– 29.01.2018

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही खानदान के सदस्य हैं तथा ग्राम मूण्डघसोई के गत खसरा नम्बर 114 रका 51–16 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 134, 135, 136, 137 कुल रकबा 8.13 हैक्टयर कायम हुऐ हैं उक्त भूमि में पूर्व में जीवण, श्योदान, काना पि. लादू मौक मीणा के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज चली आ रही थी। वादीगण 1, 2 के दादा स्व. कानाराम स्व. श्योराम, एवं स्व. जीवण तीनों सगे भाई थे स्व. जीणराम अविवाहित नाऔलाद फोत होगया तथा स्व. श्योराम के एक मात्र पुत्र मांगूराम था जो भी अविवादित दिनांक 24.08.2009 को फोत हो गय स्व. श्योराम की पत्नी का भी स्वर्गवा हो गया हैं जीवणराम व श्योराम के फौत होने पर उनके स्थान पर जरिये फौतगी नामान्तकरण संख्या 111 मांगू पुत्र श्योराम, कानाराम पुत्र लादू के नाम से दर्ज किया था जिसको ग्राम पंचायत ने गलती से नामान्तकरण जीवण फोत होने पर उसके जाईन्दा लड़के लड़के कानाम व मोहन के नाम तथा श्योराम फोत होने पर उसके

उपखण्ड अधिकारी
नावां

जाईन्दा लड़का मांगू पुत्र श्योराम के नाम नोट अंकित कर नामान्तकरण को स्वीकृत कर दिया जिसके अन्तर्गत राजस्व रेकर्ड में जीवण के स्थान पर कानाम मोहन पि. जीवण के नाम खातेदारी दर्ज हो गई श्योराम के स्थान पर मांगू पुत्र श्योराम के नाम खातेदारी अंकित हो गई जबकि मोहनराम कानाराम का पुत्र था और कानाराम लादूराम का पुत्र था हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसका भाई काना पुत्र लादू व मृतक श्योराम का पुत्र मांगू पुत्र श्योराम के नाम खातेदारी दर्ज होनी चाहित थी मांगू पुत्र श्योराम का स्वर्गवास नाऔलाद अविवाहित हो चुका हैं तथा मोहन पुत्र कानाम का भी स्वर्गवास दिनांक 19.06.2016 को हो चुका हैं जिसके उत्तराधिकारी वादीगण व प्रतिवादी 1 से 4 हैं प्रतिवादी 2 से 4 को इस सम्पूर्ण भूमि में पैतृक हक हिस्सा नहीं हैं प्रतिवादी 2 से 4 ने मौखिक रूप से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी 1 के हक में हकत्याग कर दिया हैं तथा अपना हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया हैं जिससे अब उपरोक्त 5.93 हैक्टयर भूमि वादी 1 से 3 व प्रतिवादी 1 बहिस्सा बराबर काबिज कृषक चले आ रहे हैं लेकिन वादी 1 व 2 के पिता की वल्दियत गलती से जीवण अंकित होने से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दुरूस्त नहीं हो रही हैं जिससे यह वाद पेश किया हैं वादीगण ने वाद पेश कर ग्राम मूण्डघसोई के खसरा नम्बर 134, 135, 136, 137 कुल रकबा 8.13 हैक्टयर में से 5.93 हैक्टयर में काना, मोहन पि. जीवण व मांगू श्योराम , मोहन पुत्र काना का नामा हटाया जाकर वादीगण व प्रतिवादी 1 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकरक रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 से 4 ने जरिये अभिभाषक इकबालिया जवाब पेश कर वादीगण के वाद को पूर्णतया स्वीकार किया हैं तथा माफिक वाद में वर्णित अनुसार खातेदारी घोषणा की जाकर वाद डिक्री किऐ जाने का निवेदन किया गया हैं शेष प्रतिवादीगण को सम्मन तमील मुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई हैं साक्ष्य वादी में भंवरीदेवी पत्नी मोहन, पूर्णमल पुत्र मोहन, प्रहलादसहाय, सोहनलाल पुत्र सुवानाथ के शपथ पत्र पेश किऐ हैं ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर वकुलाय की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजा का आलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नावां

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण ने वाद के साथ जमाबन्दी सम्वत 2027–2030 तक की जमाबन्दी पेश की हैं जिसके अनुसार ग्राम मूण्डघसोई के खसरा नम्बर 114 रकबा 51–16 बीघा भूमि की खातेदारी जीवण पुत्र लादू , श्योदान पुत्र लादू , काना पुत्र लादू कौम मीणा रकबा 37–16 बीघा दर्ज रिकार्ड थी तथा रवलानाथ पुत्र लालनाथ जोगी 7–00 बीघा मांगू पुत्र भोमा कौम बलाई रकबा 7–00 बीघा दर्ज रिकार्ड थी। सम्वत 2031–34 में उक्त भूमि की खातेदारी मांगू पुत्र श्योदान मीणा, काना, मोहन पि. जीवण मीणा कानाम पुत्र लादू मीणा रकबा 37–16 बीघा दर्ज रिकार्ड की गई हैं जबकि सम्वत 2027–2030 की जमाबन्दी से स्पष्ट हैं कि जीवण , श्योदान व काना तीनों लादू के पुत्र हैं जीवण लाऔलाद एवं श्योदान के फौत होने पर नामान्तकरण 111 जो दर्ज किया गया हैं जिसमें सहवन से वल्दियत गलत अंकित की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान जामाबन्दी सम्वत 2069–2072 में मोहन पुत्र कानाम मीणा, मांगू पुत्र श्योराम , काना, माहन पि. जीवण मीणा रकबा 5.93 हैक्टयर दर्ज रिकार्ड हैं जो गलत हैं क्योंकि काना के पिता का नाम लादू मीणा था तथा मोहन के पिता का नाम काना था जो जमाबन्दी सम्वत 2027–2030 से स्पष्ट होता हैं जिससे वल्दियत गलत अंकित होना साबित होता है। प्रतिवादीगण ने भी इसकी तायद की हैं तथा प्रतिवादी 2 से 4 ने न्यायालय में हाजिर होकर अपने इकबालिया जवाब में अपना हिस्सा वादीगण को दिया जाना बताया हैं जिससे वादीगण का वाद साबित होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मूण्डघसोई के खसरा नम्बर 134, 135, 136, 137 कुल रकबा 8.13 हैक्टयर भूमि में 5.93 हैक्टयर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी 1 प्रत्येक को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खातेदारी में दर्ज मांगू काना, मोहन पि. जीवण तथा मांगू पुत्र श्योराम एवं मोहन पुत्र काना का नाम हटाया जाकर वादीगण व प्रतिवादी 1 का नाम दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा